

परिशिष्ट - "अ"

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक- B.I.C.)

अनुदान हेतु आवेदन -पत्र

प्राप्ति एव
हस्ताक्षर

नगर निकाय का नाम

शहर _____ जिला _____ वार्ड संख्या _____

- 1 आवेदक का नाम _____
- 2 पिता/पति का नाम _____
- 3 जाति (सामान्य एस.टी., ओ.वी.सी., अन्य सम्बाधिक अन्य) _____
- 4 पूर्ण पता
वर्तमान पता
स्थायी पता _____
- 5 मृखण्ड का विवरण जिस पर आवास निर्माण/अभिवृद्धि प्रस्तावित है -
मृखण्ड संख्या स्कीम का नाम, मृखण्ड कहों रिखत है
मृखण्ड का माप/क्षेत्रफल
मृखण्ड रिक्त है (हों या नहीं)
यदि मृखण्ड पर पूर्व से आवास निर्मित हो तो निर्मित कुल क्षेत्रफल
प्रथम मजिल का निर्मित क्षेत्रफल
द्वितीय मजिल का निर्मित क्षेत्रफल
मृखण्ड का पट्टा अभिलेख जारी है (हा या नहीं) _____
- 6 आवेदक के परिवार की वार्षिक आय _____
- 7 आवेदक एवं परिवार के एक सदस्य का आधार नम्बर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे) विवाहित हेतु पति/पत्नि अन्यथा परिवार के सदस्य का आधार कार्ड) _____
- 8 आवेदक का स्थायी फोन/मोबाइल नं. _____
- 9 अनुदान का प्रयोजन (नवीन आवास निर्माण/आवास वृद्धि) _____
- 10 क्या पूर्व में भवन निर्माण हेतु कोई अनुदान लिया है (हों या नहीं) _____
- 11 प्रस्तावित निर्माण विवरण
नवीन निर्माण क्षेत्रफल
वर्तमान आवास में अभिवृद्धि (प्रस्तावित क्षेत्रफल)
प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल अनुमानित लागत _____
- वर्ग फीट
वर्ग फीट
वर्ग फीट
रुपये

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वाया प्रस्तुत क.स 1 से 11 तक की सूचना सही है।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर प्रमाणिकारी

नाम:-

पद:-

मोबाइल:-

समस्त आवेदको के लिये

शपथ – पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति
 निवास.....तहसील.....

जिला.....मैं निवास करता/करती हूँ। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास 2022 (शहरी) के अन्तर्गत स्वयं के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार के लिये अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। मैं शपथ-पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान नहीं है।
2. आवास निर्माण हेतु उपलब्ध भूखण्ड मेरे स्वयं के स्वामित्व का है।
3. मैंने पूर्व में किसी भी आवासीय योजना की संभिड़ी नहीं ली है।
4. मेरे परिवार की वार्षिक आय रु 3 लाख से कम है।
5. मेरा भूखण्ड रिक्त है/कच्चा आवास है/21 वर्ग मीटर से कम का पक्का आवास निर्मित है।
6. मैं स्वयं के द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ।
7. मेरे वर्तमान भूखण्ड/आवास के नक्शे में आवास का निर्माण एंव विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
8. मैं स्वयं के द्वारा आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु अनुदान के अलावा सलंगन एस्टिमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर वहन करने को तैयार हूँ।
9. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त यदि निर्धारित अवधि में मेरे द्वारा किसी कारणवांश निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाने की स्थिति में संबंधित निकाय/प्राधिकरण/न्यास मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

(नोटीराइज्ड सत्यापन)
 (शपथ पत्र 50/-)

आवदेक के हस्ताक्षर



परिशिष्ट- "स"

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)

सबके लिये आवास-2022

लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार हेतु रु 1.50 लाख तक के अनुदान की पात्रता हेतु चैक स्लिप:

लाभार्थी का नाम _____

पता— _____ मोबाइल न. _____

आधार न. _____

क्रम संख्या	विवरण	हों/नहीं
1	क्या लाभार्थी के परिवार के नाम देश में किसी भी अन्य स्थान पर स्वयं का मकान है? (यदि नहीं है तो शायद पत्र सलग्न करें)	
2	क्या लाभार्थी का भूखण्ड जिस पर कच्चा/पक्का मकान बना हो, स्वयं के स्वामित्व का है? संबंधित दस्तावेजी साइय यथा पट्टा/ मूल आवंटन पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।	
3	क्या लाभार्थी ने पूर्व में किसी आवासीय योजना की संबिली ली है? (शायद पत्र सलग्न करें)	
4	क्या लाभार्थी की परिवार की आर्थिक आय रु 3 लाख या इससे कम है? (स्वयं धोषणा पत्र सलग्न करें)	
5	क्या लाभार्थी का भूखण्ड रिक्त है अथवा कच्चा आवास है?	
6	यदि लाभार्थी का पक्का मकान है तो क्या वह 21 वर्ग मीटर तक या इससे कम है?	
7	क्या लाभार्थी के नाम से बैक खाता है?	
8	क्या लाभार्थी के पास पति/पत्नी का आधार कार्ड है?	
9	क्या लाभार्थी के वर्तमान भूखण्ड/आवास के साईट प्लान एवं नवशो में आवास का निर्माण एवं विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है?	
10	क्या लाभार्थी के द्वारा प्रस्तावित आवास निर्माण का एस्टीमेट सलग्न है?	
11	क्या लाभार्थी आवास के निर्माण अथवा विस्तार हेतु जनुदान के अलावा एस्टीमेट के अनुसार शेष निर्माण लागत स्वयं के स्तर पर बहन करने की तैयार है?	

हस्ताक्षर वार्ड/जोन

आवेदक के हस्ताक्षर

वार्ड/जोन प्रभारी अनुशंसा

मैं लाभार्थी को अनुदान देने हेतु अनुशंसा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर पार्वद
वार्ड संख्या प्रभारी
निकाय/प्राधिकरण/न्यास (राज.)

सलग्न आवश्यक दस्तावेज़—

1. लाभार्थी के दो फोटो पासपोर्ट साईज
2. अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड की फोटो कॉपी
3. आय प्रमाण पत्र हेतु स्वयं धोषणा पत्र
4. मकान का पट्टा/मूल आवंटन पत्र
5. प्रस्तावित आवास का साईट प्लान, नवशो एवं एस्टीमेट
6. शपथ—पत्र

नोट—

1. केवल आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के लिये।
2. नये घर के निर्माण के लिए न्यूनतम 21 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं अधिकतम 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल।
3. विद्यमान मकान के विस्तार के लिए कम से कम 9 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का निर्माण आवश्यक है जिसमें कम से कम 1 कमरे का निर्माण प्रस्तावित हो।



निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट में निम्न सूचनाएँ सम्मिलित किया जाना आवश्यक है :-

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण।
2. परियोजना के दिशानिर्देशिका के अनुसार निर्धारित परिशिष्ट 7वीं एवं 7ठी (प्रारूप संलग्न)।
3. सिटी प्रोफाइल।
4. 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल का नक्शा (सुलभ सन्दर्भ हेतु नमूना संलग्न)।
5. परियोजना में शामिल किये जाने वाले सभी आवेदकों के आवास निर्माण की कुल अनुमानित लागत का विवरण। (रूडसिको कार्यालय द्वारा 30 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र का सम्पल एस्टीमेट तैयार किया गया है जो कि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है निर्माण क्षेत्र में भिन्नता की विधि में एस्टीमेट निकाय स्तर पर तैयार किया जाकर परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है)।
6. नवीन आवास निर्माण एवं अभियृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों को पृथक—पृथक परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाना है।
7. आवेदकों की सूची प्रारूप “क” एवं “ख” के अनुसार।
